

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :-एफ.2(6356)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/2/64356/2017

जयपुर, दिनांक : 15/2/17

अनापत्ति प्रमाण पत्र

निम्नलिखित सूचना सहायकों, को विभिन्न परीक्षाओं के पत्राचार में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	सूचना सहायक का नाम	पदस्थापन विभाग	परीक्षा का नाम जिसकी अनुमति चाही गई
1.	3094	शिल्पारानी जोशी	कार्यालय राज. ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	M.A.(Political Sci.) From Matsya University, Alwar
2.	W-1301	शाईना भटेजा	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सू.प्रौ.संचार विभाग, जिला चित्तौड़गढ़	MSc.(Computer Sci.) From MGS University, Bikaner
3.	4073	श्री सूर्य प्रकाश मीणा	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सू.प्रौ.संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय मनोहर थाना, जिला झालावाड़	MSc.(Computer Sci.) From VMOU, Kota
4.	1236	श्री सुमित चौधरी	कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिला जोधपुर	MCA IIIrd year From Jaipur National University, Jaipur
5.	11	श्री सोनू खत्री	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सू.प्रौ.संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय पांचू, जिला बीकानेर	MSc.(Mathematics) From MGS University, Bikaner
6.	3830	संदीप कौर	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सू.प्रौ.संचार विभाग, पंचायत समिति श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर	MSc.(Computer Sci.) From Jaipur National University, Jaipur
7.	2312	श्री संजय	कार्यालय ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय बुहाना, जिला झुन्झुनू	M.A.(Economics) From VMOU, Kota

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित सूचना सहायक।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव